

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम: जनपद- देहरादून में मसूरी के अन्तर्गत भट्टाफॉल एस0टी0पी0 से लाल दरवाजा, डोबाखाला तक सीवर लाईन बिछाने हेतु अपेक्षित वन स्वरूप भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु 0.594405 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(Online file no - FP/UK/Others/27153/2017)

टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु मसूरी वन प्रभाग में 0.306105 हे0 सिविल सोयम वन भूमि एवं देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.2883 हे0 आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 0.594405 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त योजना के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी एवं देहरादून वन प्रभाग, देहरादून तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून एवं शिवालिक वृत्त, देहरादून द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद- देहरादून में मसूरी के अन्तर्गत भट्टाफॉल एस0टी0पी0 से लाल दरवाजा, डोबाखाला तक सीवर लाईन बिछाने हेतु अपेक्षित वन स्वरूप भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु परियोजना के लिए वन भूमि लीज परियोजना हेतु अपनी संस्तुति की गई है। अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (अनुप मलिक भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी

Addl. P.C.C.F./N.O.

Land Survey Directorate

Dehradun

सरकारी मोहर:

तिथि : 17 / 02 / 2018

स्थान : देहरादून